कोटा–बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015& ISO22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
रजिस्ट्रेशन संख्या:1875 R GST: 08AABAK2482L1ZE
FSSAI License No.10012013000248
E-mail: ktamu-rj@nic.in, kotadairy@yahoo.co.in
Customer Care/Help Line: 9829891599

सन्दर्भ: KD/23-24/F.P&I/ 19278-283 दिनांक: 16.02.2024

ई–निविदा सूचना

निम्नानुसार बी.एम.सी. मार्ग से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में ऑनलाईन निविदायें, दो भागों में (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा, निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:

निविदा कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)	ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क (रुपये)	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक/समय	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक/समय	धरोहर राशि, निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की अतिंम दिनांक/समय	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक/समय
25.00	590	* 50,000	500	16.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से	23.02.2024 साँय 4.00 बजे तक	24.02.2024 दोपहर 4.00 बजे तक	26.02.2024 को साँय 1.00 बजे

बी.एम.सी. दुग्ध मार्गों से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है:

क्रमांक	बी.एम.सी. दुग्ध मार्ग	अनुमानित किलो मीटर	वाहन क्षमता	दुग्ध खाली करने का स्थान
01	कापरेन	160	इन्सुलेटेड टैंकर क्षमता 9000 लीटर	कोटा डेयरी प्लांट
02	अजेता	150		
03	गोढडा	210		
04	दबलाना	220		
05	डाबी	186		

निविदा की विस्तृत जानकारी http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है

*निविदा प्रपत्र के साथ दुग्ध परिवहन हेतु इन्सुलेटेड टेंकर स्वयं के नाम होने पर रुपये 50,000/– की डी.डी. लगाना होगा एवं यदि नया टैंकर अथवा अधिकतम 5 वर्ष पुराना मॉडल का टैंकर लगाने की मंशा रखने वाले निविदादाता को रुपये 1.00 लाख का डी.डी. धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा।

निविदा के साथ धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क बजरिये अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा के पक्ष मे देय होगा एवं ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि MD RISL, Jaipur के नाम देय होगा, संघ कार्यालय में जमा कराना होगा। अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।

किसी भी/समस्त निविदाओं को बिना कराण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अन्य किसी जानकारी के लिए श्री फरीदा खान, 9672998909 से सम्पर्क किया जा सकता है।

(कृ. प. उ.)

कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा – 324 010
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

नोटः

01 निविदा फार्म मय शर्तों सहित ऑन–लाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा सूचना में दर्शाये अनुसार डाऊनलोड तथा निविदा प्रपत्र को भरकर मय डिमाण्ड ड्राफ्ट वेबसाईट पर निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जा सकता है।

02 निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी।

03 इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

04 निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेशन इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जोकि इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आएगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी (NIC or safecrypt का msapplitechtendercity.com (India) Pvt. Ltd.) से प्राप्त कर सकते है जिस निविदादाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यक्ता नहीं है।

प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपिः

01 प्रबन्धक (प्रणाली), आर.सी.डी.एफ. लि., जयपुर। } को भेज कर निवेदन है कि कृपया निविदा सूचना आर.सी.डी.एफ. के वेबसाईट में अपलोड करवाने का श्रम करें।

02 प्रभारी (पी एण्ड आई)/लेखाधिकारी, कोटा दुग्ध संघ, कोटा।

03 प्रभारी (एम.आई.एस.)/ प्रभारी विज्ञापन, कोटा दुग्ध संघ, कोटा। } को भेज कर लेख है कि निविदा सूचना नियमानुसार सम्बन्धित वेबसाईट में अपलोड एवं रोस्टर अनुसार समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

04 सूचना पट्ट, कोटा कार्यालय

05 कार्यालय पत्रावली/मास्टर फाईल

प्रबन्ध संचालक

कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा – 324 010
IS/ISO 9001:2008 & HACCP IS 15000:1998 Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सरस

तकनीकी निविदा प्रपत्र

(इन्सुलेटेड टेंकरों से BMC से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु)

आवेदनकर्ता का नाम..

मार्ग का नाम..

निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	:	केडी / 23–24 / F.P&I/ 19278-283 दिनांक 16.02.2024
निविदा कार्य का विवरण	:	बल्क मिल्क कूलर से कोटा डेयरी सयंत्र तक दुग्ध परिवहन का कार्य।
निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक / समय	:	16.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से 23.02.2024 दोपहर 12.00 बजे तक
तकनीकी एवं वित्तीय निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक / समय	:	23.02.2024 साँय 4.00 बजे तक
निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क कार्यालय में जमा कराने की अतिंम दिनांक / समय	:	24.02.2024 दोपहर 4.00 बजे तक
तकनीकी एवं वित्तीय ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक / समय	:	दिनांक 26.02.2024 को साँय 100 बजे

निविदा शुल्क का विवरण	रुपये	ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	बैंक का नाम
निविदा शुल्क GST सहित	590			
ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क	500			
अ. धरोहर राशि स्वयं के स्वामित्व वाले वाहन होने की स्थिति ब. अधिकतम 5 वर्ष पुराना मॉडल का टैंकर क्रय कर लगाने की स्थिति में रुपये 50,000 का अतिरिक्त डी.डी. अर्थात् कुल रुपये 1.00 लाख	50000 100000			

तकनीकी निविदा के साथ निम्न पत्रदि की प्रतियाँ अपलोड करें:		नम्बर	दिनांक
01	फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड		
02	अधिकार पत्र की मूल प्रति		
03	टेंकर का विवरण रजिस्ट्रेशन संख्या (रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेन्स, ड्राईविंग लाईसेन्ट, परमिट, फिटनेस आदि)		
04	आयकर PAN. No		
05	विगत दो वर्षो की आयकर विवरणीः		
06	प्रोप्राईटर / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड		
07	हस्ताक्षरित शर्तें		
08	संघ द्वारा बकाया राशि (फैट / एस.एन.एफ. कटौती की राशि) के सम्बन्ध में अदेय (No Dues) प्रमाण पत्र (केवल वर्तमान में अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू)		
09	निविदादाता जो स्वयं या उसके परिवार के सदस्यो द्वारा दुग्ध का व्यवसाय न करने का घोषणा पत्र		
10	अन्य विवरण (आवश्यक लाइसेन्स आदि)		

हस्ताक्षर निविदादाता)

नोटः

1. उपरोक्त समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
2. प्रत्येक दुग्ध मार्ग के लिये अलग–अलग निविदा प्रपत्र मार्ग अनुसार स्वीकार किया जायेगा। एक निविदा में एक टेंकर से अधिक हेतु निविदा दर स्वीकृत नहीं की जावेगी।
3. निविदादाता के निविदा फार्म भरते समय संघ में उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की राशि बकाया नहीं होनी चाहिए। अन्यथा निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर निविदा तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
4. जो निविदादाता वर्तमान में संघ से अनुबन्धित है, उनको संघ से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ सम्बन्धित साईट पर अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

घोषणा

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी .... घोषणा करता हूँ कि मैं तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र को हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतया अधिकृत हूँ, उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सही हैं, मैंने निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ/सुन/एवं समझ लिया हैं तथा इनका पूर्णतया पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ। तकनीकी निविदा में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर मैं धरोहर राशि का ड्राफ्ट/पे आर्डर बिना उज्र वापस प्राप्त करूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि हमारे फर्म को राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या सबद्ध दुग्ध संघ द्वारा कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं की गई हैं। यदि निविदा स्वीकृत होने या अनुबन्ध होने के बाद हमारे फर्म को ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो हमारे निविदा/अनुबन्ध तत्काल को निरस्त कर अमानत राशि जब्त करने का अधिकार संघ को होगा।

पूर्ण हस्ताक्षर निविदादाता..

नाम..

पता..

....फोन नम्बर ....

ई–मेल...

कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ़, रावतभाटा रोड, कोटा – 324 010
IS/ISO 9001:2008 & HACCP IS 15000:1998 Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सरस

निविदा प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश

निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रपत्र को डाऊनलोड कर पूर्ण अध्ययन करें एवं तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा में चाही गई जानकारी यथा स्थान पर पूर्ण करें। सम्पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र मय वाँछित दस्तावेज/ड्राफ्ट को स्केन कर निर्धारित साईट पर अपलोड करें।

निविदा सूचना में चाहे गये शुल्क के अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट मय पूर्ण रूप से भरा हुआ तकनीकी निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में कोटा दुग्ध संघ के कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक आवश्यक रूप से जमा करा कर रसीद प्राप्त कर लेवें। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

यदि तकनीकी निविदा में कोई निविदादाता निविदा समिति द्वारा उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो निविदा समिति तत्काल निविदा निरस्त कर उसका बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर लौटा देगी। इसमें पूर्ण अधिकार निविदा समिति का सुरक्षित होगा तथा कोई भी निविदादाता समिति के निर्णय पर प्रश्न करने का अधिकारी नहीं होगा।

निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी।

इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc. rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त दर्शाई वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के नहीं होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ऑनलाईन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी। अगर उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले दिन निश्चित समय पर खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणवश यदि निविदायें खोलने की तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो निविदादाता को ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।

कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकी डिफाल्ट के कारण यदि साईट पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपलोड नहीं हो पाता है या अन्य किसी कारण से बिड अपलोड नहीं हो पाती है तो उसमें संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति इसके लिए कोई विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

निविदादाता को निविदा के नियम एवं शर्तों का विवरण भली प्रकार पढ एवं समझ लेना चाहिए तथा नियमों की स्वीकृति स्वरूप शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अन्त में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एंव फर्म की सील लगानी चाहिए। अन्यथा निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा तथा तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। वाँछित दस्तावेजों के अभाव में निविदायें अमान्य होगी। अमानत राशि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी।

संघ के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या सबद्ध दुग्ध संघ द्वारा ब्लेक लिस्टेड ठेकेदारों/सप्लायरों द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा स्वीकृत करने या अनुबन्ध होने के बाद निविदादाता की ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो निविदा/अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी और कोई भी निविदादा/अनुबन्धकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता)

कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा – 324 010
IS/ISO 9001:2008 & HACCP IS 15000:1998 Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सामान्य शर्ते

1. निविदा साफ शब्दों/अंकों मे भरी होनी चाहिये एवं किसी प्रकार की कॉट–छॉट नहीं होनी चाहियें।
2. संघ के संचालक मण्डल सदस्य एवं संघ में कार्यरत नियमित एवं अनुबन्धित कार्मिक स्वंय एवं/उसके पति/पत्नि, आश्रित, सन्तान, मांता–पिता का निविदा में भाग लेना निषेध है।
3. निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक अथवा न्युनतम् निविदादाता से दर नेगोशियेशन करने का अधिकार कमेटी को होगा।
4. आदेश मिलने के अधिकतम एक माह में समस्त औपचारिकताऍ पूर्ण कर वाहन कार्य पर लागाना होगा (असाधारण परिस्थिति या प्राकृतिक आपदाओं को छोडकर) अन्यथाा धरोहर/अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. सफल निविदाकर्ता को निर्धरित प्रपत्र में रुपये 1000/– (एक हजार रूपये)के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध एवं अलग से मनोनयन पत्र (उत्तराधिकारी पत्र) भर कर देना होगा।
6. न्यूनततम निविदादाता की अर्नेस्ट मनी चार माह तक रोकी जा सकती है तत्पश्चात निविदा स्वीकृत न होने पर लौटाई जा सकेगी अर्नेस्ट मनी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था किसी भी सरकारी विभाग/संस्था/उपक्रम/दुग्ध संघ में ब्लैक लिस्टेड/अयोग्य घोषित होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
8. संलग्न अनुबन्ध शर्ते अनुबन्ध की अवधि एवं नवीनीकरण तथा अनुबंध अवधि बढाने की दशा में भी प्रभावी रहेगी।
9. पूर्ण रूप से भरे गये निविदा फार्म स्केन कर निर्धारित साईट एवं समय पर अपलोड करना चाहिए तथा इसकी हार्ड कॉपी मय डिमाण्ड ड्राफ्ट (निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि) बन्द लिफाफे में स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी निविदादाता द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय पर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. वाहन मैकेनिकल फिट कंडीशन में होना चाहिए एवं मॉडल निविदा जारी होने वाले वर्ष से 5 वर्ष से अधिक पुराना मॉडल नही होना चाहिये।
11. यह निविदा प्रपत्र दो भागों में विभक्त हैं। निविदा प्रथम पार्ट "तकनीकी निविदा" के रूप में एवं द्वितीय भाग पार्ट "वित्तीय निविदा" के रूप में विभाजित हैं। निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रपत्र का अध्ययन कर पार्ट "तकनीकी निविदा" व "वित्तीय निविदा" की जानकारी निविदा प्रपत्रों में यथा स्थान पूर्ण कर सम्पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र मय वॉछित दस्तावेज/ड्राफ्ट को स्केन कर निर्धारित साईट पर अपलोड करें।
12. "तकनीकी निविदा" सक्षमता/योग्यता के परख के उपरान्त सफल एवं योग्य पाये जाने पर ही "वित्तीय निविदा" को खोला जावेगा। "तकनीकी निविदा" में असफल पाये जाने वाले निविदादाता को अयोग्य मानते हुये उनका निविदा प्रपत्र पार्ट "वित्तीय निविदा" नहीं खोला जावेगा।
13. निविदादाता फर्म वर्तमान में संघ से अनुबन्धित है, उनको संघ से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ सम्बन्धित साईट पर अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
14. निविदादाता जो स्वयं या उसके परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी द्वारा दुग्ध का व्यवसाय करता हो ऐसी निविदादाता की निविदायें स्वीकार नहीं की जाएगी, इस बाबत निविदादाता को निविदा के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. निविदादाता या टैंकर जो गत 2 वर्ष या इससे अधिक समय से किसी मार्ग के लिए अनुबन्धित है वो निविदादाता/टैंकर उस मार्ग के लिए निविदा भरने के लिए पात्र नहीं होंगे।

नाम ....

हस्ताक्षर निविदादाता)

बी. एम. सी. समितियों से टेंकर द्वारा दुग्ध परिवहन सम्बन्धी शर्ते एवं नियम

1. अनुबन्ध अवधि एक वर्ष की होगी एवं यदि दोनों पक्ष सहमत होते है तो उक्त अनुबन्ध का नवीनीकरण यदि कोई व्यवस्था नहीं होती हैं तो आगामी एक वर्ष के लिये और किया जा सकेगा। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की दशा में किसी कारणवश निविदा में विलम्ब होता है तो तीन माह अथवा नयी निविदा होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये अनुबन्ध अवधि बढाई जा सकेगी जो ठेकेदार को मान्य होगी।

2. सफल निविदादाता उपरोक्त टेण्डर को किसी अन्य निविदादाता/अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकता हैं।

3. वित्तिय निविदा में 9 टन (बैरल क्षमता) पर दर प्रति किलोमीटर दर्शानी होगी, इससे अधिक दुग्ध परिवहन करने पर प्रोरटा दर के आधार पर भुगतान देय होगा।

4. परिस्थितिवश मार्ग पर दुग्ध संकलन 9 टन से कम (5 टन या इससे भी कम) होने पर 5 टन क्षमता का टैंकर लगाने की अनुमति दी जा सकेगी । परन्तु अनुबन्धित दर का 75 प्रतिशत राशि का ही भुगतान किया जाएगा।

5. निविदादाता को इन्सुलेटेड टैंकर से कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कोटा द्वारा निर्धारित मार्गो की विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों पर स्थापित किये गये बल्क मिल्क कूलर पर समय सारिणी अनुसार दुग्ध परिवहन हेतु पहूँचेगा और दुग्ध लेकर कोटा डेयरी संयत्र तक दुग्ध परिवहन करेगा। आवश्यकतानुसार समितियों व मार्ग एवं समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

6. सफल निविदादाता को दुग्ध परिवहन के लिये अन्दरूनी भाग स्टेनलेस स्टील की चद्दर से निर्मित इन्सुलेटेड टेंकर उपलब्ध कराना होगा जिसमें दुग्ध परिवहन के दौरान दुग्ध के तापमान में 24 घण्टे में एक डिग्री से सेन्टीग्रेड से ज्यादा बढोतरी नहीं हो। सफल निविदादाता को संघ निर्देशानुसार अधिकृत अधिकारी से इस बाबत् प्रमाण पत्र/प्रमाणीकरण करवाना होगा। इस आशय की रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद ही कार्यादेश दिया जा सकेगा।

7. निविदादाता के पास टेंकर का, परिवहन अधिकारी (RTO) द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं इन्श्योरेन्स इत्यादि की स्वंय के हस्ताक्षरशुदा छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। टैंकर की लोडिंग क्षमता 9 टन/5 टन क्षमता का होने का सत्यापन परिवहन अधिकारी (RTO) से करना होगा।

8. सफल निविदादाता के टेंकर में संघ के कर्मचारी/अधिकारी/संघ प्रतिनिधि के टेंकर को साथ में ले जाना होगा।

9. ठेकेदार को राजस्थान मोटर अधिनियम, परिवहननियमों एवं वाहन संचालन सम्बन्धित अन्य समस्त नियमों की पालना करनी होगी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज टेंकर के साथ रखना होगा। किसी भी विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन/दस्तावेजों के अभाव में शास्ती/जब्ती के लिये ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा। संघ की जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. टेंकर को प्रतिदिन अन्दर एवं बाहर से भली प्रकार धुलवाने की पूरी जिम्मेदारी टेंकर ठेकेदार की होगी। टेंकर की धुलाई हेतु प्रति माह रुपये 500/– की कटौती मासिक परिवहन बिल से की जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता)

11. टेंकर ब्रेक डाउन होने की स्थिति में दुग्ध परिवहन समय पर नहीं करने अथवा टेंकर को संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई समय – सारिणी के अनुसार दुग्ध परिहवन नही करने पर, यदि इस कारण से अगर दूध खट्टा होने पर प्रचलित दुध बिक्री (आर.एम.जी. / एन.एम.जी.) की दर 75 प्रतिशत राशि एवं दूध दही होने पर पूरी कीमत ठेकेदार से वसूली की जायेगी। खट्टे / दही टेकेदार को ले जाने की अनूमति नहीं होगी।

12. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया टेंकर ब्रेक डांउन / दुर्घटनाग्रस्त होने पर ठेकेदार को अन्य वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। ठेकेदार यदि किसी भी दिन दुग्ध परिवहन करने में असमर्थ रहता है तो संघ दुग्ध परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर करेगा एवं रुपये 1000 / –प्रति दिन की शास्ती भी ठेकेदार पर आरोपित की जा सकेगी जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल / अमानत राशि / बैंक गारन्टी इत्यादि से वसूल की जायेगी।

13. दुग्ध समितियों पर स्थापित बल्क मिल्क कुलर से दूध टेंकर में लोडिंग करने हेतु आवश्यक श्रमिक टेंकर ठेकेदार नियोजित करेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।ठेकेदार द्वारा नियुक्त टेंकर ड्राईवर / हेल्पर की दूध चोरी / मिलावट की शिकायत या समितियों से प्राप्त दूध की गुणवत्ता / मात्रा की कमी की शिकायत प्राप्त होने पर **प्रबन्ध संचालक महोदय कोटा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कोटा** का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

14. ठेकेदार को दुग्ध परिवहन का मासिक बिल आगामी माह की 7 तारीख तक ट्रिप्लिकेट में प्रस्तुत करने होंगे। यदि 15 तारीख तक भी बिल प्राप्त नही होने पर रुपये 1000 / –प्रति दिन की शास्ती भी ठेकेदार पर आरोपित की जा सकेगी जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल / अमानत राशि / बैंक गारन्टी इत्यादि से वसूल की जायेगी। बिल प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से बिल प्रमाणीकरण पश्चात् लेखा शाखा में बिल प्रस्तुत करने के 15 दिवस में सामान्य रूप से भुगतान रेखांकित चैक द्वारा वैधानिक व अन्य कटौतियॉ (शास्ती इत्यादि) के पश्चात् किया जायेगा। असामान्य परिस्थिति में देरी होने पर बकाया भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही ठेकेदार को बिल के एवज में कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी।

15. संघ द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान दुग्ध संकलन में कमी / वृद्वी के कारण पूर्व निर्धारित मार्ग / मार्गो का पुर्नगठन / परिवहन करने या नये मार्ग का गठन करने अथवा किसी मार्ग को समाप्त करने की आवश्यकता होने पर संघ मार्ग का पुनर्गठन / परिवहन / गठन / समाप्त करने के लिये स्वतन्त्र होगा। इसी प्रकार संघ द्वारा समय में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई मागं / दावा नहीं किया जा सकेगा। समितियों से दूध की मात्रा की आवक अधिक होने की स्थिति में संघ टैंकर लगाने के लिये सूचित करेगा एवं अनुबन्धकर्ता ऐसी परिस्थिति में एक से अधिक टैंकर लगाने के लिये बाध्य होगा। परिस्थिति अनुसार ठैंकर को समानान्तर दूरी वाले एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर दुग्ध परिवहन हेतु लगाया जा सकेगा। **जिस पर ठेकेदार को काई आपत्ति नहीं होगी।**

16. ठेकेदार को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के समय यदि आवश्यक होतो परिवर्तित मार्ग से भी गन्तव्य स्थान पर दूध पहुँचाना होगा जिसकी वास्तविक दूरी का भुगतान प्रमाणीकरण पश्चात् स्वीकृति पर ही किया जासकेगा,अन्य किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता)

17. ठेकेदार कार्य को सुचारू रूप से चालाने के लिये सक्षम एवं निपुण व्यक्तियों को ही नियोजित करेगा। नियोजित व्यक्तियों की सूचना ठेकेदार द्वारा संघ को उपलब्ध करानी होगी।अपराधिक प्रवृत्ति/संघ द्वारा प्रतिबन्धित अथवा शारीरिक रूप से अयोग्य/अवयस्क व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त नहीं कर सकेगा। टेंकर पर कार्यकरत वाहन चालक हेल्पर आदि के फोटोयुक्त पहचान –पत्र ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे। दुग्ध परिवहन कार्य में अनियमितता पाए जाने पर वाहन पर कार्यरत व्यक्तियों को तुरन्त हटाना होगा। हडताल आदि की स्थिति में भी ठेकेदार को कार्य सुचारू रूप से करने के लिये स्वयं सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी।

18. ठेकदार द्वारा नियोजित श्रमिक कारखाना अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम एवं राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों से शासित होगें एवं ठेकेदार स्वयं इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार रिकार्ड रखने एवं उनकी पालना के लिये उत्तरदायी होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा मांगें जाने पर रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा।

19. टेण्डर अवधि में यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कोई नया कर लागू किया जाता है तो उसका पुर्नभरण नियमानुसार देय होगा। अन्य केन्दीय/राजकीय कर अधिभार, शूल्क, आयकर जो की वर्तमान में लागू है की कटौती नियमानुसार ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

20. **वाहन का रख–रखाव, डीजल, ऑयल, रोड एवं टोल टेक्स, भुगतान की व्यवस्था अपने खर्चे पर वाहन ठेकेदार को करनी होगी। वाहन रख–रखाव, चरित्रवान वाहन चालक/हेल्पर की व्यवस्था हर स्थिति में अपने खर्चे पर वाहन ठेकेदार को करनी होगी एवं ड्राईवर /हेल्पर के परिचय पत्र फोटो सहित संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराने होंगें जिसकी एक प्रति वाहन ठेकेदार को लौटा दी जायेगी जो परिवहन कार्य के दौरान सदैव समिति/संघ के अधिकृत पदाधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा। टोल टैक्स का भुगतान जो वर्तमान में लागू है अलग से देय नही होगा।**

21. ठेकेदार को नियोजित किये गये वाहन पर संघ के निर्देशानुसार सरस दूध कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा व निशान लिखवाना होगा एवं अनुबन्ध समाप्ति पर वाहन पर से संघ का नाम व सरस से सम्बन्धित समस्त निशान स्वंय के खर्चे पर हटाने होंगे। तत्पश्चात्ही अन्तिम भुगतान एवं जमा अमानत राशि लौटाने हेतु अदेय प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकेगा।

22. अनुबन्ध की अवधि समाप्ति पर वाहन ठेकेदार को समस्त समितियों/केन्द्रों एवं अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगें।इसके बाद ही अंतिम बिल के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी एवं सिक्युरिटी राशि संघ द्वारा लौटाई जा सकेगी।

23. चूँकि वर्तमान में सरकार द्वारा प्रति दिन डीजल की दरें घोषित की जाती है। अतः परिवहन दरों में आनुपातिक वृद्धि/कमी करना व्यवहारिक नहीं है। फिर भी अनुबन्ध होने के बाद भारत सरकार द्वारा डीजल दरों में वृद्धि/कमी करने की त्रैमासिक समीक्षा (अप्रेल से जून, जुलाई से सितम्बर, अक्टूबर से दिसम्बर, जनवरी से मार्च) संघ की नीति अनुसार की जाएगी और यदि डीजल दरों में वृद्धि/कमी संचयी प्रभाव से 2 रुपये अथवा अधिक होता है तो कमेटी की सिफारिश अनुसार परिवहन दर में आनुपातिक परिर्वतन लागू किया जाएगा जिसका अगले माह की 1 तारीख से परिवतन/संशोधन किया जा सकेगा। वाहन के लिए डीजल खपत की दर 7 कि.मी. प्रति लीटर मानी जाएगी। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक महोदय को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा तथा ठेकेदार इस सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता।

हस्ताक्षर निविदादाता)

24. परिवहन ठेकेदार को बी.एम.सी. समितियों से टेसटिंग शुदा अच्छा दुग्ध प्राप्त कर इन्सुलेटेड टेंकर द्वारा डेयरी संयत्र पर पहुंचाना होगा। ठेकेदार को बी.एम.सी. समिति पर दुग्ध की पूर्ण जॉच (देखकर, सुघंकर, चखकर एवं फैट एस.एन.एफ इत्यादि की पूर्ण जांच) कर निर्धारित प्रपत्र में समिति को प्राप्ति रसीद जारी करनी होगी. तथा बी.एम.सी. का जनरल सेम्पल संघ में उपलब्ध करवाना होगा तथा उसकी प्रति संघ में जमा करानी होगी अन्यथा रुपये 500/– प्रति बी.एम.सी. शास्ति आरोपित की जावेगी। अर्थात सभी बी.एम.सी. के लिये गये जनरल सेम्पल निर्धारित सेम्पल बोतलों में प्रयोगशाला में विस्तृत जांच हेतु लाने होगे। संघ स्तर पर टेंकर का सेम्पल लिया जाकर उसकी जॉच की जावेगी एवं उसकी किलो फेट/किलो एस.एन.एफ. की गणना की जावेगी। किलो फेट/किलो ए.एन.एफ. की गणना प्रति दिन के आधार पर की जायेगी और प्रति दिन फैट, एस.एन.एफ. की हानि ठेकेदार के बिल से काटी जाएगी। फैट/एस.एन.एफ. की मात्रा अधिक होने पर लाभ ठेकेदार को नहीं दिया जाएगा। अनुबन्ध होने के पश्चात् यदि आपसी सहमती एवं संचालक मण्डल की स्वीकृति के पश्चात् फैट/एस.एन.एफ. की गणना की अवधि अथवा कटौती दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो आदेशानुसार सभी अनुबन्धों पर समान रूप से लागू होगा।

25. परिवहन ठेकदार को बी.एम.सी. में फ्लेसिंग की अनुमति फुड सैफ्टी एक्ट के अनुसार नहीं होगी। ठेकेदार आवश्यकतानुसार पाईप लाईन/वाल्व को खुलवा कर बिना पानी की फ्लेसिंग कर दुग्ध एकत्रित कर अपने अनुबन्धित वाहनों से दुग्ध संघ में सम्भलवायेंगे। दूध में पानी पाये जाने पर फुड सेफ्टी नियम अनुसार शास्ती आरोपित कर कार्यवाही की जाएगी।

26. समिति/संघ द्वारा ठेकेदार के ड्राईवर/खलासी को जो भी डाक, पत्रादि/दूध सम्बन्धी चालान ट्रकशीट व अन्य सामग्री दी जावेगी वो उसे सुरक्षित समिति/संघ को देनी होगी। प्रपत्रों को खोने अथवा कॉट–छॉट करने पर अथवा दुर्भावना पूर्ण अन्य कार्यवाही करने पर एवं समिति स्टोर से सामान परिवहन न करने पर ठेकेदार पर राशि रुपये 500/– तक जुर्माना किया जा सकेगा एवं हानि की पूर्ति उसके बिल से की जावेगी। वाहन ठेकेदार को अपने वाहन में निर्देशानुसार समस्त समितियों/केन्द्रो पर टीके, एसिड,एल्कोहल, वेटकॉल, डाक, बिल, मिनरल मिक्सचर, घी व अन्य सामान जिस दिन जारी किया जाता है उस दिन माल जैसा हो वैसा ही पहूॅचाना होगा एव दूसरे दिन सम्बन्धित समितियों/केन्द्रो की प्राप्ति रसीद संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। घी परिवहन हेतु 1/– प्रति लीटर एवं नमक, बीज एवं मिनरल मिक्सर हेतु 20 पैसा प्रति किलो से भुगतान देय होगा।

27. माल के खराब होने/कम होने/मिलावट पाये जाने पर माल का निर्धारित बिक्री मूल्य व राशि रुपये 1000/– की शास्ती आरोपित की जा सकेगी।

28. बी.एम.सी. से दूध लेते समय ठेकेदार को यह सूनिशिचत करना होगा की डिलवरी बाउचर पर दुध की मात्रा, फैट एवं एस.एन. एफ. तथा दूध का तापमान अंकित हो। यदि परिवहन के दौरान दूध के औसत तापमान में 3 डिग्री से अधिक की बढौतरी होती है तो प्रति डिग्री 1000/– रुपये की शास्ति ठेकेदार पर लगायी जावेगी।

29. डेयरी परिसर में बी.एम.सी. टैंक की तुलाई एवं फैट/एस.एन.एफ. की टैस्टिंग केवल प्रातः 07.00 बजे से साँय 07.00 बजे तक ही अनुमत होगी। साँय 7.00 बजे पश्चात् आने वाले टैंकरों की तुलाई एवं टैस्टिंग अगले दिन ही की जाएगी। अतः टैंकरों को दी गई समय सारणी के अनुसार ही प्रातः 7.00 बजे से पूर्व एँवं साँय 7.00 बजे के मध्य ही डेयरी परिसर में आना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित समय से एक घण्टा से अधिक की देरी होने पर न्यूनतम रुपये 500/– की शास्ती जगाई जायेगी तथा उसके बाद प्रति आधे घण्टे की देरी पर रुपये 100/– की शास्ति लगाई जावेगी। विशेष परिस्थिति में प्रबन्ध संचालक महोदय की स्वीकृति पश्चात् छूट दी जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता)

30. ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में ठेका छोडकर नहीं जा सकता है यदि अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार बीच में कार्य छोंडकर जाता है तो संघ स्वीकृत निविदादाता के खर्चे एवं जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा एवं अतिरिक्त लागत तथा अनुबन्ध भंग की शास्ती जो प्रबन्ध संचालक, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कोटा द्वारा निर्धरित की जावेगी जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल, बैंक गारन्टी की राशी, अमानत राशी,चल अचल सम्पत्ति से की जाकर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। एवं अनुबन्धकर्ता को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

31. प्रबन्ध संचालक, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कोटा अनुबन्ध अवधि के दौरान सात दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त अथवा निलम्बित /बहाल कर सकेगा। अनुबन्ध/ठेका निलम्बन अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

32. ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्य न करने पर स्थिति में/कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में/अनुशासन भंग की स्थिति में अथवा अन्य किसी रूप से अयोग्य पाये जाने की स्थिति में प्रबन्ध संचालक, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कोटा को अवधि सेपूर्व ही ठेका निरस्त करने, अमानत राशी, बैंक गारण्टी राशि जब्त करने एवं हर्जाना वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

33. दोनों पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने कि दशा में अध्यक्ष/प्रशासक, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षेां पर बन्धनकारी होगा।

34. **अमानत राशि/धरोहर राशि/बैंक गारण्टीः** निविदादाता को तकनीकी निविदा फार्म के साथ रुपये 50,000/– (अक्षरेः–पचास हजार रुपये मात्र) की अमानत राशि का डी0डी0 संलग्न करना होगा। जो निविदादाता यदि नया टैंकर अथवा निविदा जारी होने वाले वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष पुराना मॉडल का टैंकर क्रय कर लगाना चाहते है तो उन्हें रुपये 50,000/– का अतिरिक्त डी.डी. अर्थात् कुल रुपये 1.00 लाख का डी.डी. बतौर धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा। सफल निविदादाता को अनुबन्ध से पूर्व कुल 1,00,000/– रुपये बतौर अमानत राशि जमा कराने होंगे निविदा के समय जमा धरोहर राशि समायोजित किये जा सकेगे। इसके अतिरिक्त 5 लाख रूपये (अक्षरेः–पाँच लाख रूपये) की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा के पक्ष में जारी की गई बैंक गारण्टी 30 माह के लिए वैध हो जमा करनी होगी। संघ में जमा अमानत राशि/सिक्योरिटी राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। साथ में 100 – 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दो गारन्टर की गारन्टी भी प्रस्तुत करनी होगी।

35. ठेकेदार, संस्था, फर्म अथवा सेवा प्रदाता, केन्द्रीय/राजकीय कर, अधिभार, शुल्क लेवी, सेवाकर इत्यादि के लिये ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से चुकाने के लिये जिम्मेदार होगा।

36. ठेकेदार को रुंपये 110/– संघ सदस्यता शुल्क जमा कराकर नोमिनल सदस्यता ग्रहण करनी होगी।

37. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

38. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को FSSAI ACT 2006 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीकृत प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में कार्यादेश पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता)

39. निर्धारित मार्ग एवं समय सारणी अनुसार प्रत्येक बी.एम.सी. से दूग्ध परिवहन नहीं करने पर प्रति बी.एम.सी. रुपये 200/– शास्ती आरोपित की जा सकेगी।

40. बी.एम.सी. में खाली एवं भरे टेंकर के वजन के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता एंव हेराफेरी पाये जाने की स्थिति में 1000/– रुपये की शास्ती आरोपित की जा सकेगी।

41. विशेष परिस्थिति में संघ प्रशासन को अनुबन्धित टैंकर के दुग्ध मार्ग में परिवर्तन का अधिकार होगा। और ठेकेदार परिवर्तित मार्ग पर समय सारणी अनुसार अपना टैंकर संचालित करेगा।

42. निविदादाता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसी प्रकार का व्यवसाय करता है जैसा की संघ करता है अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित समान प्रकार की गतिविधियों में हों, अगर निविदादाता ऐसा कोई उपरोक्त कृत्य करता है तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी। उपरोक्त कृत्य यदि अनुबन्ध करने के पश्चात् करता है तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।

43. दुग्ध परिवहन इन्सुलेटेड टेंकर पर संघ द्वारा जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जावेगा। जी.पी.एस. सिस्टम, बन्द होने एवं खराब होने की दशा में ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठीक कराने में हुये व्यय अथवा बन्द पाये जाने पर शास्ती ठेकेदार से वसूली जावेगी। दो बार से अधिक बन्द पाये जाने पर टेण्डर निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। जी.पी.एस. की लागत के बराबर अमानत राशि संघ द्वारा रखी जावेगी। ठेका समाप्ति के पश्चात् जी.पी.एस. को सही हालत में पाये जाने पर अमानत राशि वापस की जावेगी।

44. ठेकेदार को प्रत्येक माह की सात तारीख तक आवश्यक रूप से बिल पेश करना होगा (बिल विलम्ब से प्राप्त होने पर शर्त संख्या 14 के अनुसार शास्ती आरोपित की जाएगी) जिसका प्रमाणन एवं जॉच पश्चात अगले सात दिवस में चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा। यदि किसी माह फैट/एस.एन.एफ. की कटौती परिवहन राशि से अधिक होती है तो यह माना जायेगा कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से संघ को नुकसान हो रहा है अतः प्रथम चेतावनी दी जायेगी। अनुबन्ध अवधि में लगातार तीन माह तक कटौती परिवहन राशि से अधिक होने पर यह माना जायेगा कि ठेकेदार अवांछित गतिविधियों में लिप्त है तथा जानबूझ कर संघ को आर्थिक हानि पहूँचा रहा है। अतः 15 दिवस के नोटिस पर उसका अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा, अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं भविष्य में संघ के टेन्डर में भाग लेने हेतु आयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। अतः समय पर बिल पेश करना एवं दुघ की क्वालिटी, फेट, एस.एन.एफ. समय सारणी एवं मिलावट के प्रति विशेष सजग रहना पडेगा।

45. टेंकर में बॉट, पत्थर, लोहे की भारी वस्तु आदि पाये जाने पर वजन के अनुसार 30 गुना पेनेल्टी टेंकर ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

46. बी.एम.सी. दुग्ध मार्ग पर नई बी.एम.सी. स्थापित या नई दुग्ध समिति प्रारम्भ होने पर नया बी.एम.सी. मार्ग गठित करने का संघ को अधिकार होगा।

47. बी.एम.सी. दुग्ध मार्ग की दूरी घटाने एवं बढ़ाने का संघ को अधिकार होगा।

48. ठेकेदार पर किसी भी प्रकार की कोई बकाया राशि संघ की रहती है तो 2 रुपये सैकडा ब्याज प्रति माह वसूल किया जाएगा। बकाया राशि 6 माह से अधिक रहने पर बिना सूचना के अनुबन्ध निरस्त करने का संघ को अधिकार होगा।

प्रबन्ध संचालक

हस्ताक्षर निविदादाता)

Agreement
(To be executed on stamp paper of Rs. 1,000/-)

This agreement has been made on this ______ day of month ________ year ________ between M/s/Shri _______________ S/o Shri __________ R/s of _______________ (hereinafter called the contractor) which in expressions shall, where the context so admits be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators as may be and the Managing Director of Kota Zila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd., Kota (hereinafter called the Sangh) which in expression shall, where the context so admits be deemed to include his successors in office of the persons deputed by the Managing Director for the purpose.

Whereas the contractor has agreed to in the manner set forth in the conditions in the tender and and terms and conditions appended herewith work @ Rs. _______ per k.m. for transportation of milk through insulated road milk tankers.

Whereas the contractor has deposited Rs. ____________ vide receipt No. __________ dated _________ as security deposit for the due performance the aforead said agreement and a Bank Guarantee of Rs. ________ issued by Bank _________________ in the name of Sangh valid for a period upto _________ against the performance of the contracted job. Both the parties have agreed as under:

01 In the consideration of the payment to be made by the Sangh @ Rs. ______ per k.m. The contractor will ply his insulated tanker as agreed by him and as per the order given by the Sangh from time to time to lift the milk collected at various BMC's as per the schedule given to the contractor.

02 The terms and conditions signed and agreed by the tenderer at the time of submission of the tender under tender Notice No. __________ dated ________ appended to this agreement shall be deemed to be taken as part of the agreement and are binding on both the parties executing this agreement.

03 The Sangh do hereby agree that the contractor in the aforesaid manner and observe the said terms and conditions the Sangh will pay the amounts payable for his bill to the contractor for the services rendered by him through account payee cheque.

04 Whereas the agreement has/will come into the force for the period with effect from __________ to __________ and can be extended for another period of one year on mutual consent of both the parties if the services rendered by the contractor are satisfactory. The agreement can also be terminated/suspended by given a suitable notice by Managing Director of the Sangh, if the services are not found suitable or otherwise the milk route becomes unviable. No charge will be given for the suspended period.

हस्ताक्षर निविदादाता)

05 In case of non-fulfillment of all or any of the conditions of the contract by the contractor penalty at the rates mentioned in the terms and conditions attached with tender and also appended with this agreement shall be recovered either out of the dues of the contractor or from the security amount of through legal action from the contractor's property in case security is not sufficient to recover the damage of the Sangh Contract can also be terminated in such case

The jurisdiction of the disputes is restricted to KOTA only.

In witness there of the parties here to set their hands on this .... day of ....202....

Signature of Contractor
Sangh

Signature for and on behalf of the

Witness:

1.

2.

Witness:

1.

2.

Signature of contractor
With seal

Managing Director

हस्ताक्षर निविदादाता)

Validate Print Help

Sample Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: **KOTA ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SAMITI LIMITED**

Name of Work: **TRANSPORTATION OF MILK FROM BMC TO DAIRY PLANT**

Tender Ref. No: **KD/23-24/F.P&I/**

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	**Item Description**	**Units**	**BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder Rs. P**	**TOTAL AMOUNT In Words**
1	□□□□□□ □□ □□□			
1.1		दर प्रति कि.मी.		
Total in Figures				
Quoted Rate in Words				

नोट: 01 वित्तीय निविदा में दर प्रति किलो मीटर, सामयिक खर्चों, टोल टैक्स आदि सहित देनी होगी

02 फ्लश सीजन में 9 टन से अधिक क्षमता के टैन्कर की आवश्यकता होगी। अतः आपको अधिक क्षमता का टेन्कर उपलब्ध करवाना होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता)